दैनिक जागरण

विचार कर्म का बीज है

ममता की मनमानी

क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि जो ममता बनर्जी मोदी सरकार की कथित लोकतंत्र विरोधी नीतियों का झंडा बुलंद किए रहती हैं वह खुद भाजपा के खिलाफ तानाशाही भरे रवैये का परिचय देने में संकोच नहीं कर रही हैं? समझना कठिन है कि उनकी सरकार ने किस अधिकार के तहत बालूरघाट में भाजपा की रैली को संबोधित करने के लिए वहां जाने की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी? इस मनमानी रोक के चलते उन्हें फोन से रैली को संबोधित करना पड़ा। यह किसी राज्य सरकार की ओर से विरोधी दल के नेताओं को अपने यहां सभा-सम्मेलन करने से रोकने का दुर्लभ उदाहरण है। दुर्भाग्य से ममता बनर्जी इस तरह के उदाहरण पेश करने में माहिर होती जा रही हैं। भाजपा की इस रैली में खलल डालने के पहले उनकी सरकार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की पश्चिम बंगाल यात्रा में भी इसी तरह की बाधा डाल चुकी है। उनकी सरकार पर यह भी आरोप है कि वह प्रधानमंत्री की रैलियों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर रही है। यह तो एक तथ्य ही है कि ममता सरकार कानून एवं व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा जताकर भाजपा को यात्राएं नहीं निकालने दे रही है। आखिर ऐसी सरकार के मुखिया को लोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है? माना कि ममता बनर्जी अपने गुस्से के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को ताक पर रख दें। मुश्किल यह है कि वह ऐसा डंके की चोट पर कर रही हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें यह भान ही नहीं है कि वह एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति ऐसा रवैया शोभा नहीं देता। इस तरह का रवैया लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। इससे केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक छवि को भी चोट पहुंचती है।

ममता बनर्जी अपने मनमाने तौर-तरीकों से अपना ही नुकसान कर रही हैं। आखिर राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता दिखा रहा कोई नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख सकता है? अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति ममता का असहिष्णु रवैया कुल मिलाकर उन वामदलों की ही याद दिला रहा है जिनके कठोर शासन से उकता कर लोगों ने ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी थी। वह तो वाम दलों को भी मात दे रही हैं। वह भाजपा और मोदी सरकार के प्रति इस हद तक असहिष्णुता से भरी हुई हैं कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को ठुकराने के साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के प्रति भी दुर्भावना का प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं। ममता बनर्जी अपने मनमाने आचरण से यही दर्शा रही हैं कि सत्ता में आने के बाद कुछ नेता किस तरह बेलगाम हो जाते हैं। इस पर यकीन करना कठिन है कि यह वही ममता बनर्जी हैं जो संघीय ढांचे की रक्षा के लिए चिंता जताया करती थीं। उनकी सरकार का रवैया तो संघीय ढांचे की मूल भावना पर ही प्रहार करने वाला है। क्या ममता बनर्जी को साथ लेकर महागठबंधन बनाने वाले नेता यह देखेंगे कि उनकी एक सहयोगी कैसा अलोकतांत्रिक आचरण कर रही हैं?

एपीपी का इस्तीफा

सम्मानजनक पारिश्रमिक नहीं मिलने से क्षुब्ध झारखंड के दर्जनों सरकारी अधिवक्ताओं (एपीपी) ने पिछले तीन-चार महीने में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एपीपी के लिए स्वीकृत 65 पदों में से महज 35 ही कार्यरत हैं। ये वही एपीपी हैं, जिन पर लगभग छह हजार सरकारी मुकदमों का भार है। झारखंड उच्च न्यायालय में विभिन्न वादों में सरकार की ओर से मजबूत पक्ष रखने की जवाबदेही इन पर ही है। इससे इतर अगर पारिश्रमिक की बात करें तो इन्हें चतुर्थ श्रेणी का भी मानदेय नहीं मिलता। इस श्रेणी के कर्मियों को सरकार जहां प्रति माह 30 से 40 हजार रुपये वेतन देती है, वहीं इन्हें बमुश्किल 18 हजार रुपये से संतोष करना पड़ता है। और तो और पिछले साल जारी नियमावली में ऐसे अधिवक्ताओं की निजी प्रैक्टिस पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में सरकारी अधिवक्ताओं का मोहभंग हो रहा है, जिसका सीधा प्रभाव यहां की न्यायिक प्रक्रियाओं पर पड़ा है। एक ही प्रकृति के काम में पारिश्रमिक की विषमता की बात करें तो हाई कोर्ट में सरकारी मुकदमों की पैरवी के लिए केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ताओं को नौ हजार रुपये प्रति केस देने का प्रावधान है। राज्य के महाधिवक्ता को प्रतिदिन दस हजार, जबकि एएजी को आठ हजार रुपये प्रतिदिन इस मद में मिलते है। एपीपी को अन्य राज्यों में देय पारिश्रमिक पर गौर करें तो इसी कार्य के लिए बिहार में जहां लगभग प्रतिमाह 66 हजार रुपये दिए जाते हैं, वहीं पंजाब में सरकारी अधिवक्ताओं को 75 हजार रुपये मिल रहे हैं। हरियाणा में इन्हें प्रतिमाह तकरीबन एक लाख दस हजार रुपये, चंडीगढ़ में प्रतिमाह 27 हजार रुपये के अलावा प्रति मुकदमा 15 हजार रुपये और छत्तीसगढ़ में 45 हजार रुपये प्रतिमाह के अलावा दो हजार रुपये प्रतिदिन सरकार का पक्ष रखने पर देने का प्रावधान है। बताते चलें कि हाई कोर्ट में प्रतिदिन औसतन 150 ऐसे मामलों की सुनवाई होती है, जिस पर एपीपी सरकार का पक्ष रखते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि सरकार झारखंड के सरकारी अधिवक्ताओं के पक्ष में सकारात्मक पहल करते हुए उनके लिए सम्मानजनक पारिश्रमिक की घोषणा करे ताकि दिनों दिन सरकार पर बढ़ रहे मुकदमों का बोझ कम हो।

दुनिया के लिए समस्या बनता बेलगाम चीन

आरपी सिंह

चीन की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वह जिस देश पर हमला करेगा, उसे संभलने का मौका भी नहीं देगा। भारत को भी उससे और चौकस रहने की जरूरत है

अवधेश राजपूत

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की 125 पन्नों की एक हालिया रिपोर्ट में चीन की बढ़ती सामरिक शक्ति पर चिंता व्यक्त की गई है। इसके साथ ही बीजिंग दुनिया में आर्थिक साम्राज्यवाद की मुहिम भी चला रहा है। इसके लिए वह गरीब और विकासशील देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन कब्जाने की जुगत में है। उन देशों के बाजार और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए उनके संसाधनों पर भी चीन की नीयत खराब है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से लेकर यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक दुनिया के हर कोने में चीन अपने पैर पसार रहा है। दुनिया भर के बाजार उसके सस्ते उत्पादों से पट रहे हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद करने पर तुले हैं। चीन के उभार के चलते बीते कुछ वर्षों में अमेरिका को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है। गत वर्ष जारी अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में रूस और चीन के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा की अहमियत पर जोर दिया गया था। इसमें दावा किया गया कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और रूस की आक्रामकता ने दुनिया भर में अमेरिकी सैन्य बढ़त को कमजोर किया है। सैन्य मोर्चे पर चीन के भारी खर्च से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। आधिकारिक रूप से बीजिंग रक्षा पर 157 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, जबकि अमेरिका का रक्षा बजट अभी भी 602 अरब डॉलर है। वहीं भारत ने भी 2017 में रक्षा पर 52 अरब डॉलर खर्च किए। इस खर्च का दूसरा पहलू भी है। अगर विनिमय दरों की तुलना से इतर वास्तविक सैन्य खर्च की बात करें तो यह काफी ज्यादा होगा। यहां तक कि क्रय शक्ति समानता और अन्य पैमानों को देखते हुए भी यह अधिक है। अमेरिका को चीन की सैन्य चुनौती अभी तक केवल पश्चिमी प्रशांत महासागर तक ही सीमित थी, लेकिन बीजिंग अब ऐसी क्षमताएं हासिल करने में जुटा है कि उसकी सैन्य शक्ति के दायरे का क्षेत्रीय पड़ोसियों से परे तक विस्तार हो। बीजिंग ने पांचवीं पीढ़ी का उन्नत लड़ाकू विमान, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण की क्षमताएं हासिल कर ली हैं। अपनी अन्य ताकतों के साथ ही इन सबसे बीजिंग को न केवल पूरब और दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसियों पर बढ़त हासिल हो जाती है, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिकी हस्तक्षेप की राह रोकने में भी वह सक्षम हो गया है। रक्षा के मोर्चे पर उसकी तमाम कवायदें अब रंग ला रही हैं। ऐसे में अगर ताइवान या अमेरिका के दूसरे सहयोगियों का चीन के साथ संघर्ष छिड़ता है तो उनकी रक्षा के लिए अमेरिका के समक्ष चुनौती और कड़ी होगी।

चीन ने बाइडू-3 सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण के साथ ही अपने अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम को बहुत दुरुस्त बना लिया है। इससे वह दुश्मन के ठिकानों पर बहुत बारीकी से निशाना लगा सकता है। चीनी सेना अब युद्ध के मैदान में वर्चस्व बना सकती है। पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान से लेकर लंबी रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के मिश्रण से चीन ने सैन्य मोर्चे पर ऐसी तरक्की की है जिसने दुनिया के सामने एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। चीनी नौसेना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के रूप में एक बेहद मारक हथियार जोड़ा गया है। इसे 'सुपरगन' का नाम भी दिया जा रहा है। यह हवा में भी बेहद तेजी और अचकूता के साथ निशाना लगा सकती है तो एयरक्राफ्ट मिसाइल को काफी दूरी से ही सटीकता के साथ ध्वस्त कर सकती है। अपने शक्तिशाली वार से यह किसी जहाज को भी डुबो सकती है। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल भी लक्ष्य से भटके बिना ही 5,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति से उड़ान भर सकती है। हथियार प्रणाली अधिकांश मिसाइलों में सेंध लगाने में सक्षम है। चीन की ताकत इतनी बढ़ गई है कि वह जिस देश पर हमला करेगा, उसे संभलने का मौका भी नहीं देगा। वह उस देश की चेतावनी प्रणाली और मिसाइल रक्षा तंत्र को भी तहस-नहस कर सकता है।

दक्षिण चीन सागर में भी चीन दूर-दराज के इलाकों में मिसाइल शेल्टर, अत्याधुनिक सेंसर और रडार सिस्टम से लैस सैन्य सुविधाओं वाली चौकियां विकसित कर रहा है। पानी के भीतर निगरानी के लिए भी उसने नई तकनीक ईजाद की है। इसके दो फायदे हैं। एक तो चीनी पनडुब्बियों को लक्ष्य पर निशाना लगाने में सहूलियत होगी तो चीन के सामुद्रिक रेशम मार्ग को भी सुरक्षा मिलेगी। जहाजों, उपग्रहों और जलमग्न ग्लाइडरों के उपयोग से यह प्रणाली दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत महासागर में जल के भीतरी परिदृश्य से जुड़े तमाम आंकड़े जुटा सकती है।

विदेशों में किया चीनी निवेश भी अब फलीभूत हो रहा है। व्यापक वैश्विक मौजूदगी के लिए आतुर चीन को इससे दूसरे देशों में नौसैनिक बंदरगाह बनाने का अवसर मिला। चीनी रणनीतिकार इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी अफ्रीका में अपने सैन्य प्रभुत्व को कैसे भुनाए जिनसे फारस की खाड़ी जैसे उसके प्रमुख जलमार्गों का सीधा सरोकार है। ये चीन की सामुद्रिक जीवनरेखा की धुरी माने जाते हैं। वहीं व्यापार और अवसंरचना से जुड़ी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का भी यही मकसद है जिसमें चीन को एशिया और यूरोप से जोड़ना है। इससे चीन को अपने सागर तट से हजारों मील दूर तस्करों से निपटने, संकट से उबरने और नौसैनिक अभ्यास में मदद मिलेगी। आर्कटिक महासागर, बाल्टिक सागर और अन्य तमाम सुदूरवर्ती जलमार्गों तक उसकी पैठ बढ़ी है। चीनी नौसेना भी बेहद सक्षम विमानवाहक पोत विकसित करने में जुटी है। इससे वैश्विक शक्ति संतुलन में पलड़ा भी चीन की ओर झुकेगा। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जिबूती में भी चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा शुरू हो चुका है। बीजिंग आर्थिक शिकंजे और आक्रामक कूटनीति का भी सहारा ले रहा है। पाकिस्तान के खस्ता आर्थिक हालात का भी चीन भरपूर लाभ उठा रहा है जिसे उसने एक तरह से अपनी जागीर बना लिया है। भारत के साथ दुश्मनी का साझा भाव भी इन दोनों देशों को करीब लाया है। भारत के पड़ोसी देशों में भी भारी निवेश के जरिये चीन उन्हें लुभाने में जुटा है। चीन के अधिकांश पड़ोसी उसके वर्चस्व के आगे मौन हैं। वहीं अपने आकार, आबादी और अन्य पैमानों के आधार पर भारत ही उसे चुनौती देने में सक्षम है। भारत को असल में नेहरू के दौर से चली आ रही समाजवादी नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके चलते भारत चीन से पिछड़ता गया, जबकि 1980 के दशक में भारत का जीडीपी चीन से अधिक था। भारत के पास सैन्य तैयारियों के लिए वित्तीय संसाधनों का अभाव है।

जहां चीन पांचवीं पीढ़ी का उन्नत लड़ाकू विमान बनाकर मारक हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है वहीं भारतीय वायु सेना की न्यूनतम जरूरत को पूरा करने के लिए राफेल विमान खरीद को ही कुछ नेता अटकाने में अड़े हैं। ऐसे नेताओं के इरादों पर पानी फेरने के लिए जनता को आगे आना होगा ताकि भारत सैन्य और आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। देश के अस्तित्व के सवाल पर सियासत नहीं होनी चाहिए।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

बजट में खुला राहत का पिटारा

कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में समाज के हर एक तबके को दिल खोल कर राहत दी है। इसके लिए उन्होंने लोगों पर किसी तरह के अतिरिक्त कर का बोझ भी नहीं डाला है। वर्ष 2019-20 के लिए पेश अंतरिम बजट में उन्होंने छोटे किसानों के लिए आय सहायता योजना की घोषणा, मध्यम वर्ग को आयकर में छूट, सेना की पेंशन में बढ़ोतरी, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना और एमएसएमई इकाइयों को ब्याज में छूट आदि अनेक कदमों की घोषणा की गई। लगता है कि इस तरह वित्त मंत्री ने लोकसभा चुनावों के लिहाज से जनता का दिल जीतने की पुरजोर कोशिश की है। उल्लेखनीय है कि ऐसी तमाम राहतें देने के बावजूद लोगों पर करों का कोई नया बोझ नहीं डाला है, बल्कि उन्होंने बजट घाटा घटाने के उद्देश्य से कुछ समाधान भी पेश किया है। इन बजट प्रस्तावों के अलावा वित्त मंत्री ने प्रत्येक मोर्चे पर मोदी सरकार की उपलब्धियों की विस्तृत सूची भी सामने रखी। एकबारगी तो ऐसा लगा कि वह कोई चुनावी घोषणापत्र पढ़ रहे हैं। शेयर बाजार ने बजट का स्वागत जोरदार तेजी के साथ किया है। विपक्ष को भी इस सर्वसमावेशी बजट की आलोचना करने में कठिनाई महसूस हो रही है।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि पांच लाख रुपये सालाना तक की आमदनी वाले लोगों को आयकर नहीं देना पड़ेगा। यदि वे मान्य कर बचत साधनों में निवेश करें तो उन्हें 6.5 लाख रुपये तक की आय पर आयकर नहीं देना होगा। हालांकि इससे सरकार को अपनी आय में 18,500 करोड़ रुपये का घाटा झेलना होगा। इसके अलावा बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन वर्तमान 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है, किंतु आयकर की दरें यथावत रखी गई हैं। ब्याज की आय संबंधी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा 10000 रुपये से बढ़ाकर 40000 रुपये की गई है। किसानों के लिए बहु अपेक्षित आय सहायता योजना की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दो हेक्टेयर तक की कृषि भूमि के स्वामी किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में दिए जाएंगे। इसका वार्षिक खर्च 75,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और उससे 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। यह योजना एक दिसंबर, 2018 से ही लागू मानी जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए पशुपालन और प्राकृतिक आपदा के साथ जुड़ी अन्य कुछ राहतें भी घोषित हुई हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लाई गई पेंशन योजना भी एक अन्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत फेरी वाले, रिक्शा वाले, खेत मजदूर और घरेलू कामगारों सहित करोड़ों श्रमजीवियों के मामूली योगदान जितनी रकम सरकार भी उनके खाते में जमा कराएगी। असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कामगारों में से 10 करोड़ श्रमजीवियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अन्न सुरक्षा योजना के लिए गत वर्ष के 92,000 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 1,70,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने आयकर कानून की धारा 54 में संशोधन भी प्रस्तावित किया है। मौजूदा कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि अपना घर बेचता है और उसे दीर्घकालीन मुनाफा होता है तथा वह उसका एक घर खरीदने में निवेश करता है तो उसे कोई कर नहीं देना होता है। वहीं वह यदि एक घर बेचकर एक से अधिक घर खरीदता है तो उसे पूंजीगत लाभ कर देना पड़ता है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक घर खरीदेगा और अपने पूंजीगत लाभ को निवेश करेगा तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए उसे दो शर्तों का पालन करना होगा। मसलन यह लाभ पूरी जिंदगी में एक बार ही लिया जा सकता है और पूंजीगत लाभ दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यह संशोधन आकलन वर्ष 2020-21 से लागू होगा। अगर किसी अमीर व्यक्ति का विचार अपने पूंजीगत लाभ को पुनः निवेश करने का हो तो उसे अपने घर को अप्रैल के बाद बेचना चाहिए और नए संशोधनों का लाभ उठाना चाहिए। मौजूदा आयकर कानून की धारा 80/बी के तहत कोई भी व्यक्ति किफायती आवासीय योजना शुरू करता है तो प्रोजेक्ट के कुल मुनाफे को कर योग्य आय की गणना के समय शामिल किया जाएगा। बशर्ते इस प्रोजेक्ट की मंजूरी 31 मार्च, 2019 से पहले होनी चाहिए। अब नए संशोधन के अनुसार इस प्रोजेक्ट की मंजूरी 31 मार्च, 2020 से पहले प्राप्त करनी होगी। रियल एस्टेट डेवलपरों को इससे फायदा होगा। ऐसे में संबंधित व्यक्ति को धारा 80/बी की शर्तों का पालन करना होगा। उसे कंपनी, भागीदारी फर्म, एलएलपी, संयुक्त हिंदू परिवार होने पर आयकर कानून की धारा आइआइएसजेजेबी अथवा आइआइएसजेई के तहत बुक लाभ का 18.5 प्रतिशत कर भरना होगा।

सरकार का कहना है कि किफायती आवासीय परियोजना का मुनाफा कर मुक्त है, वह उचित नहीं है। ऐसे अमीर लोगों को 25 प्रतिशत के स्थान पर 18.5 प्रतिशत कर भरना पड़ेगा। आयकर कानून 1961 की धारा 16 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार करदाता को वेतन की आय में 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्राप्त है। बजट 2019-20 में प्रस्तावित प्रावधान के मुताबिक असेसमेंट ईयर (आकलन वर्ष) 2020/21 से अर्थात एक अप्रैल, 2019 से शुरू हो रहे वित्त वर्ष से यह स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। फलतः करदाता को वेतन की आय में वार्षिक 2000 से 3000 रुपये तक आयकर में बचत हो सकती है। आयकर कानून की धारा 194 ए के तहत बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आदि पर उत्पन्न ब्याज की रकम 10,000 रुपये से अधिक होने की स्थिति में 10 प्रतिशत की दर से कर कटौती की जाती है। करदाता यदि वरिष्ठ नागरिक हो तो यह सीमा 50,000 रुपये की है। बजट 2019 में प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार यह सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की गई है। वरिष्ठ नागरिक के मामले में इस प्रावधान में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। प्रस्तावित प्रावधान आकलन वर्ष 2020-21 में लागू होगा। आयकर कानून की धारा 194-आई में किराया भुगतान की आय 1,80,000 रुपये से अधिक हो तो स्रोत पर कर कटौती की जाती है। बजट 2019-2020 के प्रस्तावित प्रावधान के मुताबिक आकलन वर्ष 2020-21 से यह राशि बढ़ाकर 2,40,000 रुपये की गई है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग को कुछ न कुछ फायदा पहुंचाने की सफल कोशिश की है।

(लेखक बीएसई के प्रबंध निदेशक हैं)

response@jagran.com

आशीष कुमार चौहान

सबसे खास पहलू यही रहा कि तमाम वर्गों को रियायतें देते हुए किसी वर्ग विशेष पर उसका बोझ नहीं डाला गया है

ऊर्जा

मन की शांति

जीवन में मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों की बढ़ती व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और निरंतर बढ़ रहे अशांत माहौल में हमारी मन की शांति दुर्लभ होती जा रही है। मन की शांति के अभाव में सब कुछ होने के बावजूद हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि हम विश्व भर में अपनी विजय पताका फहरा दें, लेकिन मन की शांति के अभाव के कारण तब भी हमें महसूस होता है कि अभी कुछ पाना शेष रह गया है। कहते हैं कि सम्राट अशोक को भी सच्ची खुशी नहीं मिली थी और तब उन्होंने मन की शांति के लिए धर्म का मार्ग चुना। मन की शांति मिल जाने के बाद हमें फिर किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं रहती। ऐसे में प्रत्येक मनुष्य को यही कोशिश करनी चाहिए कि उनके द्वारा किए जा रहे कर्म से कुछ हासिल हो या न हो, लेकिन उसे मन की शांति जरूर मिलनी चाहिए।

असल में वे लोग गलत हैं जो यह शिकायत करते हैं कि उन्हें लाख कोशिश करने के बावजूद मन की शांति नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि वे लोग अपने मन की शांति के लिए वास्तविक प्रयास ही नहीं करते हैं। भौतिक सुख-संसाधनों से हमें क्षणिक खुशी जरूर मिलती है, लेकिन मन की शांति नहीं। अधिक से अधिक धन एवं वैभव कमाने के चक्कर में ज्यादातर मनुष्य अपने मन की शांति को दांव पर लगा देते हैं और समस्याओं को स्वयं ही आमंत्रित करते हैं। जाने-अनजाने समस्याओं और चिंताओं से घिरे रहने की हमारी आदत के कारण ही हमारे मन में अशांति अपना घर बना लेती है। इसके विपरीत जो लोग वास्तव में मन की शांति के लिए प्रयासरत रहते हैं, वे भीड़ में भी अपने लिए एकांत की खोज कर लेते हैं।

अगर हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें संसारिक चीजों से ध्यान हटाकर अपने भीतर की ओर यात्रा करनी होती है। मन की शांति के लिए हमें एकाग्रचित होकर अपने अंदर मौजूद शांति को जगाना पड़ता है। जब तक हमारा मन बाहर भटकता रहेगा तब तक शांति हमारे मन में नहीं उतरेगी, लेकिन जब हमारा मन एक जगह ठहर जाएगा तो फिर हमारे भीतर शांति की यात्रा शुरू हो जाएगी। कहने का सार यही है कि मन की शांति के लिए आत्मचिंतन करना ही काफी है। जब हम अपने मन को खोज लेते हैं तो कुछ समय के बाद वह अपने आप शांत हो जाता है।

महायोगी पायलट बाबा

कठपुतली कला का भविष्य

रमेश ठाकुर

हकीकत यह है कि अंगुलियों का हुनर दिखाने वाले कठपुतली कलाकार अब अंगुलियों पर ही गिने जा सकते हैं

कठपुतली कला ने कभी विदेशों में भारत का परचम लहराया था। हिंदुस्तान को एक अलग पहचान दिलाई थी, लेकिन अब यह कला बदहाली के कगार पर पहुंच चुकी है। कहते हैं कि जब हुनर ही हाशिये पर आ जाए तो यकीनन हसरतें बेमानी सी हो जाती हैं। नाउम्मीदी का भंवर भविष्य को बदहाली के मुहाने पर ले जाता है। हकीकत यह है कि अंगुलियों का हुनर दिखाने वाले कलाकारों को अब अंगुलियों पर ही गिना जा सकता है।

जी हां, कभी कठपुतली की कला से देश-विदेश में चर्चा बटोरने वाले कलाकार आज दो वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं। डिजिटल इंडिया के युग में कठपुतली के कलाकार बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। दिल्ली के शादीपुर डिपो के पास कठपुतली कॉलोनी में 2600 परिवार रहते हैं, लेकिन कठपुतली कॉलोनी की बदहाली की कहानी नई नहीं है। देश में कठपुतली की कहानियां कागजों में सिमटीं तो कलाकारों की हालत खराब हो गई। राजस्थान से आए करीब 250 कलाकारों के लिए तो अब दो वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो रहा है। ये कलाकार बताते हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हरेक सियासी नेता हमारी कॉलोनी में आते हैं, लेकिन वे वादों के सिवाय हमें कुछ और नहीं देकर जाते। चुनाव संपन्न होने के बाद उनके वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। कलाकार कहते हैं अब उनको इसकी आदत हो गई है। उनको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। 22 साल के एक युवा कलाकार विकास बताते हैं कि 20 साल की उम्र में उन्होंने कठपुतली की कलाकारी सीखी थी। उनके पिता जी ने उन्हें यह कला सिखाई थी, लेकिन आज के दौर में उनका हुनर बेमानी हो गया है। यकीनन कठपुतली के कलाकारों की जिंदगी भी कठपुतली सरीखी हो गई है।

कठपुतलियों के कलाकर ज्यादातर राजस्थान के निवासी होते हैं। राजस्थान में इस कला को लोकनृत्यों में पारंगत माना जाता था। पहले इस कला के कद्रदान हुआ करते थे, लेकिन वक्त ने इस कला को खात्मे की ओर धकेल दिया है। अगर सरकार ने जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वक्त में कठपुतली के कलाकार इतिहास तो बन ही जाएंगे, साथ ही साथ कठपुतली की कला भी टीवी और पुराने दस्तावेजों का हिस्सा बन जाएगी। समय की मार के चलते अधिकांश कठपुतली कलाकारों ने इस कला से किनारा कर लिया है। कलाकारों की मानें तो कठपुतली के कार्यक्रम अब साल में एक दो ही मिलते हैं या फिर नहीं भी मिलते हैं। इससे घर का खर्चा कैसे चले? लिहाजा अब वे ढोल बजाने के धंधे में लग गए हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ढोल बजाने की कला में जुट गए हैं। कठपुतली के कलाकार बताते हैं कि वे बीते दस सालों से ढोल बजाकर ही अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं।

एक जमाना था जब प्रदेश स्तर पर लोककलाओं को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम होते थे तो यही कलाकार प्रमुखता से हिस्सा लेते थे, लेकिन अब ऐसे कार्यक्रम भी नहीं हो रहे हैं। जाहिर है अगर हालात ऐसे ही रहे तो वह वक्त दूर नहीं जब कठपुतली कला इतिहास का हिस्सा बन जाएगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

मेलबाक्स

एकतरफा विचार

एचएएल की नाकामी शीर्षक से लिखे संपादकीय में कहा गया है कि इन दिनों एचएएल (हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड) का काम बहुत खराब हो गया है। मेरे खयाल से देश की एक प्रतिष्ठित संस्था के काम-काज का यह एकतरफा आकलन है। बहरहाल यदि संपादकीय में लिखी बातों को कुछ देर के लिए सही मान भी लिया जाए तो मेरा सवाल यह है कि कभी नामी कंपनी रही एचएएल को बर्बाद किसने किया है? पांच वर्ष का समय किसी सरकार के लिए कम नहीं होता है। मैं पूछना चाहूंगा कि इस अवधि में केंद्र की मोदी सरकार ने इसकी गरिमा लौटाने के लिए क्या किया? उसका आधुनिकीकरण क्यों नहीं किया गया? सरकार उसे पूंजी और नए ऑर्डर क्यों नहीं दे रही है? इस तरह कहीं एचएएल को नाकाम बनाकर केंद्र सरकार उसे किसी निजी कंपनी के हाथों बेचने की साजिश तो नहीं कर रही है। जहां तक एचएएल की कुशलता और विशेषज्ञता का प्रश्न है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसे लोगों की भर्ती ही क्यों करती है? जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन स्तरीय नहीं है सरकार उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाती? केंद्र सरकार का दोष एचएएल प्रबंधन पर डालने से क्या फायदा? और अंत में जिस एचएएल के पास अभी अपने कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं तो फिर उससे उच्च स्तरीय काम खोजने का क्या औचित्य है! अफसोस की बात है कि संपादकीय इन सब बिंदुओं पर खामोश है।

shishir1954@gmail.com

अधूरा विश्लेषण

चुनाव के साथ आर्थिक सेहत की चिंता शीर्षक के तहत लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट की तुलना कांग्रेस राज के अंतिम बजट से की है, लेकिन लेखक यह क्यों भूल गए कि देश का मतदाता सालाना बजट का विश्लेषण करके ही अपने कीमती वोट का प्रयोग नहीं करता, बल्कि सरकार की पांच साल की नीतियों का भी विश्लेषण करता है। देश के विकास में किसानों और कामगारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सरकार ने बजट में इनके लिए कुछ घोषणाएं कर उपकार नहीं किया है, बल्कि यह उसकी जिम्मेदारी है। चुनाव के समय लोकलुभावने वादों पर आजकल एक छोटी-सी कहानी वायरल हो रही है कि एक बार एक जंगल में भेड़ों के एक झुंड को जंगल का राजा संबोधन करते हुए कह रहा था कि इस बार सर्दियों में सभी को फ्री में कंबल बांटे जाएंगे, इस पर एक भेड़ का बच्चा पूछता है कि कंबल के लिए ऊन कहां से आएगी? हमसे ही न? क्या यह सच नहीं है कि केंद्र सरकार आम लोगों को अभी जो राहत दे रही है उसका बोझ अंततः उन्हीं पर डालेगी?

राजेश चौहान, जालंधर

शर्मनाक हरकत

हम अमेरिका, चीन और जापान जैसा विकास अपने देश में भी तो चाहते हैं, लेकिन वहां के नागरिकों की तरह बर्ताव नहीं करना चाहते? हम हर सुविधाओं से सुसज्जित, सुरक्षित और सुविधायुक्त ट्रेनों की मांग करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि जब सरकार ऐसी ट्रेनों को चलाने के लिए आगे आती है तो हम नागरिक उस पर पत्थरबाजी करते हैं? ऐसा क्यों? एक नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? आखिर हम क्यों राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं? वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकना देश के नागरिकों को शोभा नह